classmate
Date
Page

DATE: 06/10/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 10 (GOVERNOR)

LECTURE NO.- 04

By-
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ
(Financial Power of the Governor)

राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, ये इस प्रकार हैं:-

(i) राज्यपाल के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है कि वित्तीय विवरण को राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाय। अर्थात वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है।

(ii) राज्यपाल के बिना अनुमति से धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

(iii) किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम दे सकता है।

(iv) राज्यपाल पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पाँच वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है।

(v) राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की माँग नहीं की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Power of the Governor) —

राज्यपाल को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है —

(1) राज्यपाल को संविधान के अनु० 161 के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वह किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में मुख्यतः दो अंतर है —

(i) राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता है।

(ii) राज्यपाल अन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को कुछ महद्द नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता या माफ कर सकता है।

(2) राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है।

(3) वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इस संबंध में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करता है।

Scanned with CamScanner

राज्यपाल की वीटो शक्ति
Veto Power of the Governor

(1) सामान्य विधेयक से सम्बंधित —

जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के समक्ष रखा जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न चार विकल्प होते हैं —

(i) विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे।

(ii) विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले।

(iii) विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस दे। यदि उसी विधेयक को विधानमंडल संशोधन करके अथवा बिना किसी संशोधन के राज्यपाल के पास भेज दे तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसके लिए राज्यपाल संवैधानिक रूप से बाध्य है।

(iv) राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जैसे —

(क) विधेयक, संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हो;

(ख) राज्य की नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो;

(ग) हितबद्ध के विरुद्ध हो;

(घ) उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो;

(ङ) राष्ट्रीय महत्व का हो या अनु० 31(क) के उपबंधों से सम्बंधित हो।

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

(2) धन विधेयक से सम्बंधित —

इसके सम्बंध में राज्यपाल के पास तीन विकल्प होते हैं—

(i) विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे।

(ii) अपनी स्वीकृति रोक सकता है।

(iii) वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है।

×———×———×———×

सम्भावित प्रश्न:

(1) राज्यपाल की न्यायिक और वित्तीय शक्तियों का वर्णन कीजिए।

(2) राज्यपाल की वीटो शक्ति का उल्लेख कीजिए तथा यह राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से किस प्रकार भिन्न है?

नोट: संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी।

Scanned with CamScanner